भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. †*252
दिनांक 20.12.2023 को उत्तर देने के लिए

जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना

†*252. श्री गुहाराम अजगल्ले:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन कार्यों से प्रभावित प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना की क्या स्थिति है;
(ख) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में उच्च प्राथमिकता वाले और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है; और
(ग) यदि हां, तो अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

'जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना' के संबंध में श्री गुहाराम अजगल्ले, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 20.12.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *252 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 9ख राज्य सरकारों को खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के कल्याण एवं लाभ हेतु कार्य करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) का गठन करने और राज्य में डीएमएफ के गठन और कार्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 20क के तहत, केंद्र सरकार ने दिनांक 16.09.2015 को प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशा-निर्देश परिचालित किए और राज्य सरकारों को उनके द्वारा बनाए गए डीएमएफ नियमों में इसे शामिल करने के निदेश दिए। डीएमएफ के तहत निधियां संबंधित जिलों को प्राप्त होती हैं और पीएमकेकेकेवाई के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनका जिला डीएमएफ द्वारा उपयोग किया जाता है। तदनुसार, 23 राज्यों के 644 जिलों में डीएमएफ का गठन किया गया है। राज्य-वार निधि संग्रह और व्यय की गई राशि का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, कम से कम 60% निधियां पेयजल, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपायों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर व्यय की जानी हैं और 40% निधियां वास्तविक अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास जैसे अन्य प्राथमिकता वाले कार्यकलापों और खनन जिले में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसी अन्य उपाय पर व्यय की जानी हैं। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9ख, धारा 15(4) और धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2015 अधिसूचित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, डीएमएफ के गठन और कार्य, डीएमएफ के काम करने के तरीके और डीएमएफ के तहत निधि के उपयोग की प्रक्रिया के प्रावधान हैं। छत्तीसगढ़ डीएमएफ नियम, 2015 की धारा 22, उपधारा (2) और (3) के तहत, राज्य ने उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान के संबंध में पीएमकेकेकेवाई के प्रावधान को शामिल किया।

(ग): छत्तीसगढ़ राज्य डीएमएफ नियमों के अनुसार, कम से कम 60% निधियां पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता, जन कल्याणकारी योजना (उज्ज्वला योजना) और स्थायी आजीविका जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च की जानी हैं। निधि का 40% तक वास्तविक अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास, सार्वजनिक परिवहन, सांस्कृतिक मूल्य संरक्षण, युवा कार्यकलाप संवर्धन और मूलभूत सुविधाओं जैसे अन्य प्राथमिकता वाले कार्यकलापों पर व्यय किया जाना है। छत्तीसगढ़ में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्यों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

तारांकित प्रश्न संख्या - *252 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

क्र.सं.	राज्य	डीएमएफ संग्रह (करोड़ रुपये में)	व्यय की गई राशि(करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	1888.6	665.1
2	छत्तीसगढ़	12053.4	9334.3
3	गोवा	243.4	53.2
4	गुजरात	1480.2	668.9
5	झारखंड	11861.0	5875.7
6	कर्नाटक	4467.5	2040.8
7	महाराष्ट्र	4773.8	1883.8
8	मध्य प्रदेश	6624.1	2629.8
9	ओडिशा	24596.3	14507.5
10	राजस्थान	8728.9	4019.8
11	तमिलनाडु	1293.4	760.6
12	तेलंगाना	3703.9	3171.5
13	असम	117.3	76.9
14	बिहार	129.7	21.6
15	हिमाचल प्रदेश	307.0	52.1
16	जम्मू और कश्मीर	65.2	20.5
17	केरल	67.0	0.0
18	मेघालय	89.2	7.7
19	उत्तराखंड	375.6	143.3
20	उत्तर प्रदेश	1604.0	744.5
21	पश्चिम बंगाल	148.6	36.4

22	पंजाब	174.9	42.1
23	हरियाणा	91.2	14.9
कुल		84884.2	46771.0

तारांकित प्रश्न संख्या - *252 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

क्र. सं.	क्षेत्र-वार कार्य	परियोजनाओं की संख्या	पूरी की गयी परियोजनाओं की संख्या	निरस्त/रद्द की गई परियोजनाओं की संख्या	चालू परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	व्यय की गई राशि (करोड़ रुपये में)
उच्च प्राथमिकता वाले कार्य 60%							
1	पेय जल आपूर्ति	8068	5499	490	2079	641.57	455.31
2	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय	1584	962	140	482	256.19	170.41
3	स्वास्थ्य	5401	3629	511	1261	1356.10	980.61
4	शिक्षा	17547	11509	1710	4328	3191.42	2190.16
5	महिला एवं बाल कल्याण	4644	3512	375	757	705.95	495.26
6	कृषि	13340	8482	1504	3354	1621.16	1219.62
7	वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण	391	260	45	86	92.94	66.89
8	कौशल विकास	2441	1666	190	585	447.58	322.67
9	स्वच्छता	2052	1309	115	628	240.51	182.37
10	जन कल्याणकारी योजना (उज्ज्वला योजना)	714	443	4	267	247.46	211.55
11	स्थायी आजीविका	627	320	55	252	117.96	74.33
उप योग (क)		56809	37591	5139	14079	8918.84	6369.18
अन्य प्राथमिकता वाले कार्य -40%							

1	वास्तविक अवसंरचना	22781	13156	1195	8430	3188.61	1990.52
2	सिंचाई	1459	971	166	322	347.67	207.99
3	ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास	4153	3019	362	772	607.64	489.85
4	सार्वजनिक परिवहन	16	11	0	5	17.93	17.05
5	सांस्कृतिक मूल्य संरक्षण	1546	306	38	1202	121.51	84.08
6	युवा कार्यकलाप संवर्धन	513	282	8	223	122.64	85.92
7	मूलभूत सुविधाएं	90	42	1	47	15.51	11.73
8	अन्य	538	384	26	128	102.52	77.94
उप योग (ख)		31096	18171	1796	11129	4524.03	2965.08
कुल		87905	55762	6935	25208	13442.9	9334.3

*****